उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1447/2021

दिनांक /Date.: 23-12-2021

संवाद–184

विषयः– ग्राम–अखोड़ी, तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढ़वाल की श्रीमती कृष्णा बडोनी के उदाहरण से सीख–"आवेदन पत्र भरने में अत्यंत सावधानी रखना" के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि हाल ही में आयोग कार्यालय में ग्राम–अखोड़ी, तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढ़वाल से श्रीमती कृष्णा बडोनी आयी थी। उन्होंने आयोग की सहायक अध्यापक(एल0टी0) कला विषय की परीक्षा दी थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपने गॉव में परिवार, पशुपालन व कृषि आदि के दायित्वों के साथ ही पढ़ाई में खूब मेहनत की व उन्हें उम्मीद थी कि वे इस परीक्षा में चयन सूची में भी स्थान प्राप्त कर लेंगी किंतु उनका यह कहना था कि उन्हें प्रवेश–पत्र में महिला की जगह पुरूष दिखाया गया है। अतः उसे संशोधित कर महिला कर दिया जाय, जिससे उन्हें महिला आरक्षण का लाभ मिल सके। अपनी बात रखते हुये वह बहुत भावुक भी हो गयी थी।

आवेदन पत्र भरने व उसके संशोधन की एक निर्धारित प्रक्रिया व समय है। आयोग न तो अभ्यर्थियों के आवेदन भर सकता है एवं न ही उन्हें संशोधन कर सकता है। आयोग के लिए यह एक गोपनीय व सुरक्षित डेटा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने OTR Profile तैयार करने तथा उसे संशोधित करने की सुविधा दी है। यदि अभ्यर्थी OTR की प्रविष्टियों को अच्छी तरह जांच लें व जहां त्रुटि है उसे ठीक कर दें तो उनके आवेदन पत्र अपने आप ठीक हो जायेंगे। इसके साथ ही आयोग परीक्षा के पूर्व भरे गये आवेदन पत्रों को संशोधित करने का अवसर भी देता है। अभ्यर्थी इस चरण में भी अपना आवेदन संशोधित नहीं कर रहे हैं। यह एक गम्भीर लापरवाही है।

यह भी स्पष्ट करना है कि जो भी Data या प्रविष्टि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में भरेंगे उसी से परीक्षा परिणाम तैयार होगा। आरक्षण के संबंध में यह व्यवस्था है। जो आरक्षण श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन में भरेंगे उसी में उनका परिणाम जारी होगा। श्रीमती कृष्णा बडोनी ने Female के आगे No तथा Uttarakhand Women के सामाने भी No प्रविष्टि भरी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने घनसाली में किसी कम्प्यूटर केन्द्र से आवेदन पत्र भरवाया था। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी कम्प्यूटर केन्द्र की सेवा ले सकते हैं पर शुल्क जमा करने के पूर्व उसका विवरण एक बार स्वयं जांच लें। ऐसे भी मामले आये हैं जहां पुरूष अभ्यर्थी के आवेदन पर महिला की फोटो पाई गयी। यह कई फोटो एक साथ स्कैन कर उन्हें अलग–अलग आवेदन में लगाने में हुयी त्रुटि है। अतः शुल्क जमा करने के पूर्व अपना आवेदन/ OTR अवश्य जांचे व त्रुटिरहित होंने पर ही आवेदन पत्र भरें।

यह पुनः स्पष्ट करना है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी की प्रविष्टि संशोधित नहीं कर सकता व ऐसी त्रुटि की जो हानि होगी उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से अभ्यर्थी है।

क्रमशः––––02

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand

दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

अतः सभी अभ्यर्थियों को इस मामलें के माध्यम से यह सचेत करना है कि आवेदन पत्र भरना तथा OMR Sheet भरना भी परीक्षा की तैयारी जैसा ही अतिआवश्यक कार्य है। इसमें यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसका नुकसान अभ्यर्थी को होगा। कई अभ्यर्थी ऐसे मामलों में मा0 उच्च न्यायालय में भी वाद दायर करते है, पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी को कोई अनुतोष या रिलीफ नहीं मिल सकता अतः अपने आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें।

आयोग की ओर से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।